रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 1982/फाल्गुन 26, 1903
No. 98] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 1982/PHALGUNA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1982

का० आ० 139 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री हीरा राम तूफानी का, (जिन्हें इसमें आगे "निर्वाचित अभ्यर्थी" कहा गया है) जो बिहार राज्य के 308-कांके (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अभ्यर्थी हैं, निर्वाचन पटना उच्च न्यायालय (रांची बेंच) द्वारा उसके 1977 की निर्वाचन अर्जी सं० 3 (आर) में तारीख 4 अप्रैल, 1980 के निर्णय और आदेश द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया था। यह निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 123 के खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण के उक्त निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा किए जाने के आधार पर शून्य घोषित किया गया था ;

निर्वाचित अभ्यर्थी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की थी और उस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन को 30 अप्रैल, 1980 को रोक दिया ;

बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने रोक आदेश को तारीख 21 जुलाई, 1980 को रद्द कर दिया और निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा फाइल की गई अपील तारीख 28 नवम्बर, 1980 को खारिज कर दी ;

सचिव, बिहार विधान सभा ने निर्वाचित अभ्यर्थी का मामला उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसार 27 मई, 1981 को राष्ट्रपति को भेजा था ;

राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) का अनुसरण करते हुए इस प्रश्न पर कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित कर दिया जाए और यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए किया जाए, निर्वाचन आयोग की राय मांगी है ;

निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय (उपाबंध देखिए) दी है कि निर्वाचित अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए। दो वर्ष की इस अवधि की गणना 21 जुलाई, 1980 से अपीलीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख से की जाए। इस निर्णय की तारीख से धारा 99 के अधीन उच्च न्यायालय का आदेश प्रभावी हुआ था ;

अतः मैं नीलम संजीव रेड्डि, भारत का राष्ट्रपति उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चय करता हूं कि निर्वाचित अभ्यर्थी को 21 जुलाई, 1980 से दो वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाए।

राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।
12 मार्च, 1982

नीलम संजीव रेड्डि,
भारत का राष्ट्रपति।

अनुबन्ध

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

श्री हीरा राम तूफानी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, बिहार की निरर्हता के संबंध में 1981 का निर्देश मामला सं० 4

रा.म

यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(1) के साथ पठित धारा 8क(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया एक निर्देश है जिसमें निर्वाचन आयोग से यह राय मांगी गई है कि क्या बिहार विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हीरा राम तूफानी को उक्त अधिनियम की धारा 123(4) के अधीन भ्रष्ट आचरण करने के कारण निरर्हित कर दिया जाए और यदि हां तो कितनी अवधि के लिए निरर्हित किया जाए ।

पटना उच्च न्यायालय (रांची बैंच) ने 1977 की निर्वाचन अर्जी सं० 3 (आर) में अपने तारीख 4 अप्रैल, 1980 के निर्णय और आदेश द्वारा श्री हीरा राम तूफानी के बिहार विधान सभा के लिए 308-काके (अ०जा०) सभा निर्वाचन क्षेत्र में मई/जून, 1977 में हुए निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया । उच्च न्यायालय का निष्कर्ष था कि श्री हीरा राम तूफानी ने एक ऐसे पर्चे का प्रचार और वितरण करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(4) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया है जिसमें उसके प्रतिद्वन्द्वी अभ्यर्थी श्री राम रत्तन राम के चरित्र-हनन की कोटि में आने वाले मिथ्या कथन दिए हुए थे। चरित्र पर आघात करने वाले जिस पोस्टर का उच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लेख किया गया है उसका आपत्तिजनक अंश इस प्रकार है —

> "काके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस अभ्यर्थी के रूप में जिस व्यक्ति को खड़ा किया गया है वह व्यक्ति मठ के पुराने प्राधिकारियों में से एक है । श्री राम रत्तन आपातकालीन अवधि के दौरान जेल मंत्री था और उसने 20 मास के भीतर 30 हजार राजनैतिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण निर्दयतापूर्वक भेड़-बकरियों की तरह बिहार जेल में ठूंस दिया और कैदियों के राशन में कटौती करवा दी तथा रातोंरात अपने एक मंजिले मकान का दो मंजिले मकान में बदलवा दिया । श्री राम रत्तनराम के भ्रष्टाचार का एक लम्बा इतिहास है ।"

श्री तूफानी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की और उस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश का प्रवर्तन को तारीख 30-4-80 को रोक दिया । किन्तु उच्चतम न्यायालय ने तारीख 21-7-1980 को अपना आदेश रद्द कर दिया और उसने प्रतिभूति रकम जमा करने के लिए दिए गए समय के भीतर अपीलार्थी के अपेक्षित प्रतिभूति रकम जमा न करने पर तारीख 28-11-1980 को अपील भी खारिज कर दी ।

बिहार विधान सभा के सचिव ने श्री हीरा राम तूफानी का मामला तारीख 27-5-1981 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(1) के अनुसार राष्ट्रपति को यह प्रश्न विनिश्चित करने के लिए भेजा कि क्या श्री तूफानी को निरर्हित कर दिया जाए और यदि हां तो कितनी अवधि के लिए निरर्हित किया जाए । राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8क(3) के अनुसरण में तारीख 6-8-1981 को यह मामला आयोग को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट किया है ।

आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी राय देने से पहले श्री तूफानी को मामले में सुने जाने का एक अवसर दिया ।

तारीख 19-9-1981 को श्री तूफानी की व्यक्तिगत सुनवाई के समय उसके काउंसेल श्री उदय प्रताप सिंह ने यह दलील पेश की कि वह उच्च न्यायालय के उस निष्कर्ष से आबद्ध था जिसमें श्री हीरा राम तूफानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(4) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है । किन्तु उसने यह ध्यान दिलाया कि दुर्भाग्यवश उच्चतम न्यायालय इन निष्कर्षों की जांच नहीं कर सका क्योंकि श्री तूफानी द्वारा फाइल की गई अपील को खर्च के लिए अपेक्षित प्रतिभूति की रकम जमा न करने के कारण खारिज कर दिया गया क्योंकि श्री तूफानी जीविका का कोई साधन न होने के कारण उक्त रकम जमा कराने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं कर सका । उसने यह बताया कि उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि यदि उच्चतम न्यायालय गुणा-गुण के आधार पर अपील का विनिश्चय करता तो उच्च न्यायालय का निर्णय उलट जाता । अपनी दलील के समर्थन में उसने यह दर्शित करने के लिए उच्च न्यायालय के कतिपय सप्रेक्षणों और निष्कर्षों की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया कि अपेक्षित पोस्टर को न तो प्रदर्श बना कर अभिलेख पर लिया गया था और न उसके बारे में यह साबित किया गया था कि वह श्री तूफानी की प्रेरणा पर छपवा कर प्रकाशित किया गया था, उसने यह दलील भी दी कि धारा 123(4) के अधीन भ्रष्ट आचरण तब बनता है जब प्रतिद्वन्द्वी के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में किसी ऐसे तथ्य का कथन किया गया हो जिसके बारे में कथन करने वाले व्यक्ति को इस बात का विश्वास हो कि वह कथन मिथ्या था या उसके सही होने का उसे विश्वास नहीं था । उसने दलील दी कि भ्रष्ट आचरण के ये आवश्यक तत्व उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में श्री तूफानी के विरुद्ध साबित नहीं किए गए थे । उसने यह भी दलील पेश की कि चरित्र पर आघात करने वाले पोस्टर में किए गए कथन मुख्यतः प्रतिद्वन्द्वी के सार्वजनिक आचरण के संबंध में थे और उस पोस्टर में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे संबंधित प्रतिद्वन्द्वी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में वैसे निष्कर्ष निकाले जा सकें जैसा उच्च न्यायालय ने निकाला था ।

श्री उदय प्रताप सिंह ने यह दलील भी पेश की कि जब श्री तूफानी ने निर्देशाधीन निर्वाचन लड़ा था तब उसकी आयु लगभग 26 वर्ष की थी और निर्वाचन लड़ने का वह उसका पहला अनुभव था । उसने दलील दी कि श्री तूफानी का आचरण अन्यथा बिल्कुल अच्छा रहा है और उसने वह निर्वाचन पर्याप्त बहुमत से जीता था । उसने यह भी बताया कि उसने मई-जून, 1980 में हुआ बिहार विधान सभा का पिछला साधारण निर्वाचन उसी निर्वाचन क्षेत्र से उसी प्रतिद्वन्द्वी के विरुद्ध लड़ा था और उस निर्वाचन में उसकी लगभग 830 मतों से पराजय हुई थी । उसने अनुरोध किया कि ऊपर दी गई दलीलों और श्री तूफानी की किशोर आयु को देखते हुए आयोग मामले में उदारता बरते और उसे अधिकतम अवधि के लिए निरर्हित नहीं करे और यह कि उसके मामले में तारीख 21 जुलाई, 1980 से अर्थात् उस तारीख से जिसको उच्चतम न्यायालय ने अपना रोक आदेश समाप्त किया था, पहले ही भुगती जा चुकी अवधि के लिए निरर्हता को न्याय के हित में पर्याप्त समझा जाए ।

मैंने श्री उदय प्रताप सिंह की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करके उनकी छानबीन कर ली है । जहां तक आयोग का संबंध है उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अंतिम हैं और वह इन निष्कर्षों के संबंध में कोई निर्णय नहीं दे सकता । किन्तु इन निष्कर्षों के संबंध में श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा दी गई दलीलों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे दलीलें आयोग को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट प्रश्नों की जानकारी से असंगत हैं । आयोग को अपनी राय इन प्रश्नों पर देनी है कि क्या श्री तूफानी को उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के आधार पर निरर्हित किया जाए । और यदि हां तो, कितनी अवधि के लिए निरर्हित किया जाए । इस दोहरे प्रश्न का उत्तर इन निष्कर्षों में श्री तूफानी के विरुद्ध साबित किए गए भ्रष्ट आचरण की गंभीरता पर निर्भर करेगा । चरित्र पर आघात करने वाले पोस्टर के उस आपत्तिजनक अंश के, जो ऊपर उद्धृत किया गया है, पढ़ने से पता चलेगा कि पोस्टर में के अधिकांश कथन प्रतिद्वन्द्वी के जेल मंत्री के रूप में सार्वजनिक आचरण के संबंध में हैं और उसके व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में केवल एक ही अभिकथन है जो यह है कि उसने रातोंरात अपने एक मंजिले मकान को दो मंजिले मकान में बदल दिया था । मेरे विचार में पोस्टर में किए गए कथन ऐसे गंभीर या कलंककारक नहीं थे जिन्हें अत्यधिक गंभीरतापूर्वक देखा जाना चाहिए था ।

उच्च न्यायालय ने श्री तूफानी को अपने निष्कर्षों में भ्रष्ट आचरण का दोषी बताया है और उसके विरुद्ध साबित किया गया भ्रष्ट आचरण

तकनीकी प्रकृति का नहीं है, इसलिए मेरी राय यह है कि उसे निरर्हित कर दिया जाना चाहिए। जहां तक निरर्हता की अवधि का प्रश्न है मैं समझता हूं कि श्री तूफानी की किशोर आयु और राजनीति में उसकी अनुभवहीनता के बारे में श्री उदय प्रताप सिंह की दलीलों को देखते हुए श्री तूफानी के प्रति उदारता बरती जानी चाहिए। मेरे विचार में विद्यमान मामले में उस तारीख से जिसको उच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावी हुआ था, अर्थात् 21 जुलाई, 1980 से दो वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित करने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी।

तदनुसार मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8क(3) के अधीन उक्त प्रश्न का [illegible]

नई दिल्ली, एस० एल० शकधर, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त
26 सितंबर, 1981

[एफ० 7(33)/81-वि० II)]
क० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1982

S.O. 139(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas the election of Shri Hira Ram Toofani (hereinafter referred to as the "returned candidate"), a returned candidate from 308-Kanke (SC) Assembly Constituency in the State of Bihar, was declared void by the Patna High Court (Ranchi Bench) by its judgement and order dated the 4th April, 1980, in Election Petition No. 3 of 1977 (R) on the ground of commission by the returned candidate of the corrupt practice specified in caluse (4) of section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as "the said Act") ;

And whereas an appeal was filed by the returned candidate before the Supreme Court and that Court stayed the operation of the High Court's order on the 30th April, 1980 ;

And whereas the Supreme Court subsequently vacated its stay order on the 21st July, 1980, and dismissed the appeal filed by the returned candidate on the 28th November, 1980 ;

And whereas the case of the returned candidate was submitted by the Secretary, Bahir Legislative Assembly to the President on the 27th May, 1981, in terms of Section 8A(1) of the said Act ;

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of sub-section (3) of section 8A of the said Act on the question whether the returned candidate should be disqualified under sub-section (1) of that section of the said Act and, if so, for what period ;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the returned candidate should be disqualified for a period of two years to be reckoned from the 21st July, 1980 i.e. the date of the judgment of the Supreme Court from which date the order of the High Court under section 99 became effective ;

Now, therefore, I NEELAM SANJIVA REDDY, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (3) of section 8A of the said Act do hereby decide that the returned candidate should be disqualified for a period of two years from 21st July, 1980.

Rashtrapati Bhavan

New Delhi,

the 12 March, 1982.

NEELAM SANJIVA REDDY

PRESIDENT OF INDIA

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION
OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re : Reference Case No. 4 of 1981—disqualification of Shri Hira Ram Toofani, Ex-M.L.A., Bihar

OPINION

This is a Reference from the President under section 8A(3) read with section 8A(1) of the Representation of the People Act, 1951, seeking the opinion of the Election Commission whether Shri Hira Ram Toofani, a former member of the Bihar Legislative Assembly, should be disqualified for the commission of the corrupt practice under section 123(4) of the said Act and, if so, for what period.

The Patna High Court (Ranchi Bench), by its judgment and order dated the 4th April, 1980 in election petition No. 3 of 1977 (R), declared the election of Shri Hira Ram Toofani to Bihar Legislative Assembly from 308-Kanke (SC) Assembly Constituency held in May/June 1977, void. The High Court found that Shri Hira Ram Toofani had committed a corrupt practice under section 123(4) of the Representation of the People Act, 1951 by publishing and distributing a pamphlet containing false statement of facts amounting to character assassination of the rival candidate Shri Ram Rattan Ram. The objectionable portion of the offending poster referred in the High Court judgment runs as follows:—

> "The person who has been set up as a Congress candidate from Kanke Legislative Assembly Constituency is one of the old authorities of the Math. Shri Ram Rattan was a Minister for Jail during the emergency period and within 20 months, he pushed 30 thousand political workers inside the jails of Bihar inhumanly like sheep and goats without any reason and got the ration of the prisoners curtailed and got his single storeyed building converted into a double storeyed building overnight. There is a long history of corruption of Shri Ram Rattan Ram."

Shri Toofani filed an appeal before the Supreme Court and that Court stayed the operation of the High Court's order on 30-4-1980. However, the Supreme Court vacated its stay order on 21-7-1980 and also dismissed the appeal on 28-11-1980 on the failure of the appellant to deposit the requisite security amount within the time allowed for the purpose.

In terms of section 8A(1) of the Representation of the People Act, 1951 the case of Shri Hira Ram Toofani was submitted by the Secretary, Bihar Legislative Assembly to the President on 27-5-1981 for determination of the question as to whether Shri Toofani should be disqualified and, if so, for what period. The President, in pursuance of section 8A(3) of the said Act has referred the matter on 6-6-1981 to the Commission for its opinion.

Before tendering its opinion to the President, the Commission afforded an opportunity to Shri Toofani of being heard in the matter.

At the personal hearing granted to Shri Toofani on 19-9-1981, his Counsel, Shri Udai Pratap Singh, submitted that he was bound by the findings of the High Court which found Shri Hira Ram Toofani guilty of commission of corrupt practice under section 123(4) of the Representation of the People Act, 1951. But he pointed out that unfortunately the Supreme Court could not test those findings because the appeal filed by Shri Toofani was dismissed for default in depositing the requisite security for costs as Shri Toofani being a man of no means could not arrange sufficient money for making the said deposit. He stated that he was confident that if the Supreme Court had decided the appeal on merits the decision of the High Court would have been reversed. In support of his submissions he invited the attention of the Commission to certain observations and findings of the High Court to show that the impugned poster was not exhibited and brought on record and the printing and publication thereof at the instance of Shri Toofani was not proved.

He also submitted that the corrupt practice under section 123(4) lay in making a statement of fact in relation to the personal character or conduct of a rival candidate which the person making that statement either believed to be false or did not believe to be true. He contended that these essential ingredients of the corrupt practice had not been established in the High Court's findings against Shri Toofani. He also submitted that statements made in the offending poster related mostly to the public conduct of the rival candidate and there was nothing in that poster to warrant the inferences relating to the personal character or conduct of the rival candidate concerned as were drawn by the High Court.

Shri Udai Pratap Singh also submitted that Shri Toofani was only about 26 years of age when he contested the election under reference and that was his first experience of contesting an election. He submitted that Shri Toofani's conduct otherwise had been quite good and he won that election with a substantial majority. He also stated that Shri Toofani had contested the last general election to Bihar Legislative Assembly held in May-June, 1980 from the same constituency against the same rival candidate and lost that election by only about 830 votes. He urged that keeping in view the above submissions and the young age of Shri Toofani, the Commission might take a lenient view in the matter and not award to him the maximum period of disqualification and that the disqualification in his case for the period already undergone from the 21st July, 1980, i.e. the date on which the Supreme Court vacated its stay order, might be considered sufficient in the interests of justice.

I have considered and analysed carefully the submissions made by Shri Udai Pratap Singh. The findings of the High Court are final in so far as the Commission is concerned and it cannot sit in judgment over those findings. Nonetheless, the submissions made by Shri Udai Pratap Singh touching upon these findings cannot be said to be wholly irrelevant to the question referred to the Commission for its opinion. The Commission is to give its opinion whether on the findings of the High Court Shri Toofani should be disqualified and, if so, for what period. The answer to this two-fold question will depend upon the gravity of the corrupt practice brought home to Shri Toofani in these findings. The reading of the objectionable portion of the offending poster which has been reproduced above would show that most of the statements made therein relate to the public conduct of the rival candidate as Minister for Jails and the only allegation touching upon his personal character or conduct is the one relating to the conversion of his single storey house into a double storey house by him overnight. I do not feel that the statements made therein contained such scurrilous or scandalous material which ought to be viewed with utmost seriousness.

As the High Court, however, has recorded the finding of guilt against Shri Toofani for commission of a corrupt practice and as the corrupt practice proved against him is not of a technical nature, I am of the opinion that he should incur the disqualification. As regards the period of disqualification, I feel that Shri Toofani deserves a lenient treatment having regard to the submission made by Shri Udai Pratap Singh regarding his young age and inexperience in political field. I think a disqualification for a period of two years from the date on which the findings of the High Court became effective i.e. the 21st July, 1980 in the present case, would serve the ends of justice.

I accordingly tender my opinion to the above effect to the President under section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951.

S. L. SHAKDHER, *Chief Election Commissioner of India*

New Delhi
September 26, 1981.

[No. F. 7(33)/82-Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982